न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीया आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2020/00047 (47/2020) 75 एलआरएक्ट

देवी लाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। –अपीलांट

बनाम

1. इमीलाल पुत्र डूंगरराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। –असल रेस्पोडेण्ट
2. अर्जनराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. भागीरथ पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर। –रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 3/2020 बअनवानी आवेदन पत्र स्मॉलपेच आवंटन इमीलाल पुत्र डूंगरराम

श्री लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1

श्री प्रदीप मोहन भाटी रेस्पो0 सं0 2

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3

श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4

(1) अपील संख्या 2020/00049 (49/2020) 75 एलआरएक्ट

1. भागीरथ पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरलाल
3. भजनलाल
4. भोजराज

} पि0 सुलतान जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसरस जिला हनुमानगढ –अपीलांट

बनाम

1. इमीलाल पुत्र डूंगरराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। –असल रेस्पोडेण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

2. अर्जनराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. देवी लाल पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर। –रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 16.03.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 3/2020 बअनवानी आवेदन पत्र स्मॉलपेच आवंटन इमीलाल पुत्र डूंगरराम

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1
श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2
श्री लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 3
श्री रविन्द्र भोभिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांकः–26.11..2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष चक नं. 3 जेबीडी प. नं. 234/27 मु0 नं0 31 किला नं. 11, 20 की 0.506 है. भूमि को स्मॉल पेच में आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रावतसर से जवाब प्राप्त करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त रकबा के आवंटन के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीलार्थीगण ने दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की है। दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरूद्व एवं समान भूमि एवं समान पक्षकार होने के कारण इनका एक साथ निर्णय किया जा रहा है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अपील संख्या 47/2020 बअनवानी देवीलाल बनाम इमीलाल आदि के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की भूमि चक 3 जीबीडी के प0 नं0 134/19 के मु0 नं0 30 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 भूमि स्थित है इस भूमि के पूर्वी तरफ चिपती प0 नं0 234/27 मु0 नं0 31 के किला नं. 11, 20 की भूमि आराजीराज भूम थी जिसे स[illegible] हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत [illegible] भी प्राप्त की जा चुकी थी परन्तु न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना तल[illegible] किए कतई विधि विरूद्व तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अपीलाण्ट पर नोटिस की तामील होना दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है जिसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट पर धारा 22 की कार्यवाही की गई जिसके दस्तावेज 1980 से उपलब्ध हैं। भूमि पर कब्जा होने एवं चिपता काश्तकार होने के कारण अपीलाण्ट की प्रथमदृष्टया पात्रता बनती है। अपीलाण्ट की चस्पांदगी से दिखाई गई है जबकि चस्पांदगी से तामील के कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आज भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जावे तो मौका की सही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। डूंगरराम के वारिसान ईमीलाल, भागीरथ वगैरा ने रात्रि में आकर प्रश्नगत भूमि से कब्जा छोड़ने की धमकी अपीलाण्ट को देने पर उनके विरूद्ध अपीलाण्ट 11.05.2020 को पुलिस थाना रावतसर में परिवाद पेश करने पर दिनांक 18.05.2020 को प्रश्नगत भूमि पर ढाणीया भागीरथ पुत्र बीरबलराम व उनके भाईयों की होने व शेष भूमि पर कब्जा काश्त अपीलाण्ट देवीलाल पुत्र मनीराम का होने एवं डूंगर के वारिसान द्वारा जबरदस्त कब्जा की फिराक में होने कारण झगड़ा होने के अंदेशे को देखते हुए रिसीवर कायमी हेतु प्रश्गनत भूमि पर धारा 145–146 सीआरपीसी के तहत इस्तगासा उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत कर दिया है। परन्तु प्रश्नगत प0 नं0 234/27 के किला नं. 11, 20 पर आज दिनांक तक रेस्पो0 संख्या 1 अथवा डूंगर के किसी अन्य वारिसान का कोई कब्जा नहीं है ना ही पूर्व में रहा है।

4. अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान दिनांक 03.05.2020 को उस समय हुआ जब रेस्पा0 सं0 1 ने अपीलाण्टस को प0 नं0 234/27 मु0 नं0 31 के किला नं. 11, 20 की भूमि से कब्जा छोड़ने का कहा एवं एतराज करने पर उसके द्वारा यह कहा कि उसने किला नं0 21 की भूमि के साथ प्रश्नगत भूमि किला नं0 11 व 20 की भूमि भी अपीलाधीन आदेश के द्वारा आवंटित करवा ली है तब अपीलाण्ट ने विधिक कार्यवाही के लिए अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं लोकडाउन होने न्यायालय में कोई कार्यववाही होने से अपीलाधीन निर्णय की पकल प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। कोविड 19 महामारी के कारण लोकडाउन के चलते अपील प्रस्तुत नही कर सका। देरी लोकडाउन अवधि को निकलाने पर अपील ज्ञान से भीतर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जावे एवं अपील [illegible] अधनीस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे [illegible] कथनों के समर्थन में 1994 आरबीजे पेज 69, 2002 [illegible] पेज 38 डीबी, 2007 आरआरटी पेज 353, 2010 आरआरटी पेज 123 [illegible] न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

5. अपील संख्या 49/2020 अनवानी भागीरथ बनाम इमीलाल आदि के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की भूमि चक 3 जेबीडी के प0 नं0 234/27 मु0 नं0 31 के किला नं. 1 ता 10, 12 ता 19, 21, 22 अर्जुन, भागीरथ पि0 बीरबलराम व भंवरलाल, भजनलाल, भोजराज, रामेश्वर पि0 सुल्तान व दर्शना पुत्री रूकमा व महावीर, राकेश पुत्र रूकमा पुत्री बीरबल व गुलाबी, कमला पुत्री बीरबलराम की मुश्तका खाता की व प0 नं0 234/19 के मु0 नं0 30 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 भूमि दवीलाल पुत्र मनीराम की है। अपीलाट एवं चिपते काश्तकारों को नोटिस दिये बिना ही प0 नं0 234/27 मु0 नं0 31 के किला नं. 11, 20 की भूमि आराजीराज भूमि स्मॉल पेच में आवंटित कर दी गई है। न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना तलब किए कतई विधि विरूिद्ध तरीके से अपीलाण्ट पर नोटिस की तामील होना दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के मुरब्बा में होने के कारण आवंटन की पात्रता रखते हैं। अपीलाण्ट के दादा नन्दराम ने स्मॉल पेच में आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु उसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की जावे तो मौका की सही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। डूंगरराम के वारिसान ईमीलाल, भागीरथ वगैरा ने रात्रि में आकर प्रश्गनत भूमि से कब्जा छोड़ने की धमकी अपीलाण्ट को देने पर उनके विरूद्ध अपीलाण्ट 11.05.2020 को पुलिस थाना रावतसर में परिवाद पेश करने पर दिनांक 18.05.2020 को प्रश्नगत भूमि पर ढाणीया भागीरथ पुत्र बीरबलराम व उनके भाईयों की होने व शेष भूमि पर कब्जा काश्त देवीलाल पुत्र मनीराम का होनें एवं डूंगर के वारिसान द्वारा जबरदस्त कब्जा की फिराक में होने कारण झगड़ा होने के अंदेश को देखते हुए रिसीवर कायमी हेतु प्रश्गनत भूमि पर धारा 145–146 सीआरपीसी के तहत इस्तगासा उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत कर दिया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 19.05.2020 को प्रश्नगत भूमि को कुंर्क कर रिसीवर किये जाने के आदेश परित किये थे जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने अपर जिला न्यायाधीश स–1 नोहर के यहां निगरानी प्रस्तुत की जो स्वीकार होकर अपीलाधीन निर्णय 19.05.2020 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, परन्तु प्रश्नगत प0 नं0 234/27 के किला नं. 11, 20 पर आज दिनांक तक रेस्पो0 संख्या 1 अथवा डूंगर के किसी अन्य वारिसान का कोई कब्जा नही है ना ही पूर्व [illegible] रहा है।

6. रेस्पोडेण्ट ने जब स्मॉलपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र जब प्रस्तुत किया तब वह चिपता काश्तकार था ही नहीं। किला नं 21 की भूमि अपीलाण्ट के पूर्वज नन्दराम के वारिसान बीरबल व सुलतान एवं उनके वारिसान के नाम दर्ज थी वे अभिलिखित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

Lav
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

काश्तकार थें। प्रविष्टि को अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु रेस्पो0 सं0 1 ने डूंगर के अन्य वारिसान ने एक दावा उपखण्डाधिकारी रावतसर के यहां प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 392/2017 डूंगरराम बनाम बीरबल आदि को कतई षड़यंत्रपूर्वक एकपक्षीय डिक्री कराया। क्या इससे पूर्व ही रेस्पो0 सं0 1 का यह आभाष हो गया था कि दावा का निर्णय वह अपने हक में करवा लेगा? इस कारण क्या वे निर्णय से पूर्व ही दिनांक 11.02.2020 को मु0 नं0 31 के किला नं0 21 के चिपती भूम किला नं. 11, 20 को स्मॉलपेच में आवंटन हतु प्रस्तुत कर देता। रेस्पोडेण्ट ने दावा को भी षड़यंत्रपूर्वक निर्णित करवाया है। जिस हेतु अपीलाण्ट ने पृथक से कार्यवाही संपादित की है।

7. अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान दिनांक 03.05.2020 को उस समय हुआ जब रेस्पा0 सं0 1 ने अपीलाण्टस को प0 नं0 234/27 मु0 नं0 31 के किला नं. 11, 20 की भूमि से कब्जा छोड़ने का कहा एवं एतराज करने पर उसके द्वारा यह कहा कि उसने किला नं0 21 की भूमि के साथ प्रश्नगत भूमि किला नं0 11 व 20 की भूमि भी अपीलाधीन आदेश के द्वारा आवंटित करवा ली है, तब अपीलाण्ट ने विधिक कार्यवाही के लिए अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं लोकडाउन होने न्यायालय में कोई कार्यवाही होने से अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण लोकडाउन के चलते अपील प्रस्तुत नही कर सका। लोकडाउन अवधि को निकलाने पर अपील ज्ञान से भीतर मियाद है। अतः डिले कन्डान की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधनीस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1974 आरआरडी पेज 457, 2002 आरबीजे पेज 69, 2004 आरबीज पेज 38 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने दोनों अपीलों की बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा। इस भूमि पर हमेशा ही प्रत्यर्थीगण काबिज रहे हें जिस पर डूंगरराम पुत्र रतीराम सन् 1955 से लागातार काबिज चले आ रहे हैं उन्हें इसी आधार पर पुख्ता आवंटित की गई थी। आवंटन पत्रावली में भी प. नं. 234/27 का किला [illegible]सम्मिलित करते हुए 19 बीघा भूमि डूंगर पुत्र श्री रतूराम जाति जाट निवासी [illegible]ली को आवंटित करते हुए दिनांक 21.05.1984 के खातेदारी [illegible] हमला साज बाज कर अपीलार्थीगण ने इस किला नं0 21 को अपने [illegible] दर्ज करवा लिया इस अवैध कार्यवाही के विरूद्ध श्री डूंगरराम पुत्र रतूराम वाद प्रस्तुत हुआ जिसकी अपील दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lasio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अपील चलकर अंत में 20.02.2020 को डिक्री हुआ, जिसके अनुसरण में नामान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है वास्तविक तौर पर वही काबिज चल आ रहा है। तत्पश्चा रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत भूमि को समॉलपेच में आवंटित करवाया है। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवंटन की कार्यवाही की गई है। प्रत्यर्थी सं0 1 को जबरन बेदखल करने के लिए पुलिस से साज बाज करते हुए अन्य किला संख्या 11 व 20 को सम्मिलित करते हुए एक झूठी कहानी बनाकर मौके पर इस 3 बीघा भूमि के कब्जे को लेकर विवाद होना दर्शाया व पुलिस की मदद से इस्तगासा प्रस्तुत करवा कर मुरब्बा नं0 31 के किला नं. 11, 20, 21 को कुर्क कर उस पर तहसीलदार रावतसर को रिसीवर कायम करवा दिया कागजात में यह भी भूमि दिनांक 19.05.2020 से रिसीवर चली आ रही है परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपीलाण्ट ने नहीं बाताया है। किला नं. 21 में अपीलाण्ट की ढाणी बने होने संबंधि कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। आवंटन आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट ख़ारिज़ की जावे।

9. रेस्पो0 सं0 2 व 3 के अधिवक्तागण ने दोनों अपीलें स्वीकार करने का कथन किया।

10. रेस्पो0 सं0 4 के राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

12. अपीलाण्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.03.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। स्व0 सुलतान दौराने वाद दिनांक 21.10.2015 को फौत हो चुका था। अपीलाण्ट सुलतान के वारिसान हैं एवं सुलतान के वारिसान को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट प्रश्गनत आवंटित भूमि के चिपते काश्तकार हैं तथा अपीलाधीन निर्णय पारित होने से अपीलाण्ट प्रत्यक्षतः पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट को बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

13. अपीलाण्ट स्व0 सुलतान के वारिसान है, स्व0 सुलतान का देहान्त दौराने दावा हुआ है। उसके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट आवंटित भूमि के चिपते काश्तकार हैं, अपीलाधीन निर्णय से पूर्व इनको सुना नहीं गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान न होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

14. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को जोकि प्रमाणित दस्तावेज हैं एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज हैं इसलिए अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

15. जहां तक गुणावुण का प्रश्न है। रेस्पोडेण्ट को प्रश्नगत भूमि का समॉल पेच में आवंटन दिनांक 17.03.2020 को किया गया है। विचारण न्यायलाय के समक्ष इमीलाल ने दिनांक 11.02.2020 को प्रश्नगत भूमि को बतोर समॉलपेच में आवंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जबकि प्रश्नगत भूमि के चिपती भूमि प0 नं0 234/27 (31) के किला नं0 21 की 0.0843 है0 होना बताया। उक्त मु0 नं0 31 के किला नं0 21 की भूमि जो बीरबल, सुल्तान गोमती पि0 नन्दराम के नाम दर्ज होने के कारण दावा प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 20.02.2020 को डिक्री जारी की गई थी, जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। इससे स्पष्ट है कि आवेदन पत्र प्रस्तुती के रोज मु0 नं0 31 के किला नं0 21 की भूमि का रेस्पोडेण्ट खातेदार काश्तकार ही नहीं था इस कारण आवंटन हेतू प्रस्तुत उसका आवेदन पोषणीय नहीं था। किला नं. 21 खसरा नं0 178 से बना है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 अपील पूर्व की खसरा नं0 21 की 9 बीघा भूमि होना एवं उसके प0 नं0 234 234/27 मु0 नं0 31 की 21 की भूमि बनती है। चूंकि अपील संख्या 48/2020 भागीरथ बनाम इमीलाल स्वीकार की गई है तो रेस्पोडेण्ट प्रश्गनत भूमि का चिपता काश्तकार नहीं रहने की सूरत में अपीलाधीन निर्णय से जो उसे समालपेच में आवंटित की है उसकी पात्रता स्वतः ही समाप्त होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कि प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त साबित नहीं है जबकि अपीलाण्ट ने अपने कब्जा काश्त के सम्बन्ध में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ धारा 22 उप0 अधिनियम के तहत जारी किये ये नोटिस प्रस्तुत किये गये हैं जो अपीलाण्ट के पक्ष में है। दोनों पक्षों के मध्य धारा 145–146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस्तगासा उपखण्ड अध्किारी के यहां प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19.05.2020 को भूमि को कुर्क कर रिसीवर नियुक्ति के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 नोहर के यहां प्रस्तुत की जो निगरानी दिनांक 10.07.2020 को निर्णित हुई उसमें प्रश्नगत आदेश 19.05.[illegible] कर दिया एवं प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की [illegible] के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को नोटिस जरिये चस्पांदगी तामील कराये गये है जबकि चस्पांदगी से नोटिस तामील कराने के पत्रावली में कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2002 पेज 1310 व 2004 आरीबीजे पेज 38 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय के आदेश के बिना चस्पांदगी से तामील नियमानुसार नहीं मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सनुवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2020 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/XI/20

(करतार सिंह पूनीया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:20:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner